B — कौशल एवं अवसर

जिला उद्योग केंद्र (DIC)

यह संस्थान क्या है

DIC (जिला उद्योग केंद्र) एक राज्य सरकारी कार्यालय है जो लोगों को सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम आरंभ करने एवं बढ़ाने में सहायता करता है। यह एक एकल-खिड़की सुविधा के रूप में कार्य करता है जहाँ कोई उद्यमी उद्यम पंजीकरण, ऋण, सब्सिडी तथा बाज़ार-पहुँच के लिए सूचना, मार्गदर्शन एवं समर्थन प्राप्त कर सकता है। DIC के प्रमुख महाप्रबंधक होते हैं, जो राज्य उद्योग निदेशालय को रिपोर्ट करते हैं। DIC प्रत्येक जिले में मौजूद हैं।

> **यह आपके लिए क्यों मायने रखता है**
>
> यदि आप एक छोटा व्यवसाय आरंभ करना चाहते हैं, उद्यम पंजीकृत करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) जैसे सरकारी ऋण के लिए आवेदन करना चाहते हैं, अथवा अपने जिले में मौजूद उद्योगों एवं आर्थिक अवसरों को समझना चाहते हैं, तो यह संपर्क का कार्यालय है।

प्रशासन

कानून / नीति	दायरा
औद्योगिक नीति वक्तव्य, 1977	जिला उद्यम सहायता हेतु एकल-खिड़की के रूप में DIC योजना स्थापित की
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम (एमएसएमईडी), 2006	MSME (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) श्रेणियाँ तथा सुविधा ढाँचा परिभाषित करता है
PMEGP दिशानिर्देश, 2023 (संशोधित)	DIC उद्यम ऋणों के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है
राज्य औद्योगिक नीतियाँ	राज्य-विशिष्ट उद्यम संवर्धन नियम तथा प्रोत्साहन

- **केंद्र:** MSME मंत्रालय (MoMSME) / विकास आयुक्त-MSME (DC-MSME) — नीति तथा योजना दिशानिर्देश
- **राज्य:** राज्य उद्योग / MSME विभाग → राज्य उद्योग निदेशालय
- **जिला:** महाप्रबंधक, DIC
- **क्षेत्र:** खंड स्तर पर उद्योग विस्तार अधिकारी
- **संस्थागत निरीक्षण:**
- **PMEGP के लिए जिला कार्यबल** — जिलाधिकारी / कलेक्टर की अध्यक्षता में; सदस्यों में GM-DIC (महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र) (संयोजक), अग्रणी जिला प्रबंधक (LDM), KVIC (खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग) जिला अधिकारी, राज्य KVIB (खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड) प्रतिनिधि, बैंक प्रतिनिधि, तथा लाभार्थी / उद्योग प्रतिनिधि सम्मिलित हैं; यह वह निकाय है जो PMEGP आवेदनों को बैंक स्वीकृति के लिए स्कोर एवं अनुशंसित करता है
- **एक जिला एक उत्पाद (ODOP) जिला समिति** — जिले के सिग्नेचर उत्पाद क्लस्टर, संवर्धन गतिविधियों तथा DIC योजनाओं के साथ अभिसरण की समीक्षा करती है
- **वित्त-पोषण:** DIC कार्यालय राज्य-वित्त-पोषित है; योजना-निधियाँ (PMEGP, क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना (CLCSS)) केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से प्रवाहित होती हैं

प्रमुख पद

पद	उत्तरदायित्व
महाप्रबंधक (GM)	DIC के प्रमुख; योजना कार्यान्वयन, उद्यम पंजीकरण, एकल-खिड़की मंज़ूरी
कार्यात्मक प्रबंधक	क्षेत्र-विशिष्ट मार्गदर्शन: आर्थिक जाँच, ऋण सुविधा, कच्चा माल सहायता
उद्योग विस्तार अधिकारी	खंड-स्तरीय आउटरीच; संभावित उद्यमियों की पहचान; योजना जागरूकता को सुगम बनाते हैं
PMEGP डेस्क अधिकारी	PMEGP ऋण आवेदनों का संसाधन, परियोजना रिपोर्ट तैयार करना, बैंकों के साथ समन्वय

अनिवार्य सेवाएँ

- उद्यमियों को उद्यम पंजीकरण (Udyam registration) के माध्यम से मार्गदर्शन देना तथा बैंक ऋणों के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में सहायता
- PMEGP ऋण आवेदनों का संसाधन: परियोजनाओं का मूल्यांकन, बैंकों को अनुशंसा, तथा स्वीकृति का अनुसरण
- लागू केंद्रीय तथा राज्य योजनाओं, सब्सिडियों एवं प्रोत्साहनों पर सूचना प्रदान करना
- उद्यम-संबंधी अनुमोदनों के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र एवं अनुशंसाएँ जारी करना
- उद्यमिता विकास कार्यक्रम (EDPs) तथा जागरूकता शिविर संचालित करना
- जहाँ लागू हो, ODOP क्लस्टर सहायता का समन्वय करना
- नए उद्यमों के लिए एकल-खिड़की मंज़ूरी को सुगम बनाना
- क्लस्टर तथा अवसंरचना आवश्यकताओं (भूमि, शेड, बिजली, पानी, कच्चे माल) की पहचान करना तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (MSE-CDP) योजना के अंतर्गत सामान्य सुविधा केंद्रों (CFCs) तथा औद्योगिक-इस्टेट उन्नयन हेतु प्रस्तावों को राज्य सरकार के माध्यम से मार्ग प्रदान करना
- विपणन सहायता प्रदान करना — मेले एवं प्रदर्शनियाँ, ODOP ब्रांडिंग — तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन, गुणवत्ता परीक्षण एवं कौशल विकास को सुगम बनाना
- जहाँ राज्य रणनीतिक निवेश योजना उन्हें नामित करती है, वहाँ Raising and Accelerating MSME Performance (RAMP) योजना के लिए जिला-स्तरीय कार्यान्वयन शाखा के रूप में कार्य करना — Zero Defect Zero Effect (ZED) प्रमाणन, लीन मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटलीकरण एवं TReDS (व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली) ऑनबोर्डिंग, निर्यात तथा हरित-करण पर जागरूकता कार्यशालाएँ चलाना; MSMEs (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों) को संगठित करना; तथा डेटा को राज्य नोडल एजेंसी को रिपोर्ट करना
- राज्य-विशिष्ट उद्यम योजनाओं को कार्यान्वित करना — उदाहरण के लिए, तमिलनाडु में बेरोज़गार युवा रोजगार सृजन कार्यक्रम (UYEGP) तथा नये उद्यमी-सह-उद्यम विकास योजना (NEEDS), साथ ही जहाँ मौजूद हों वहाँ राज्य बीज-पूँजी योजनाएँ तथा राज्य औद्योगिक / उद्यमी पुरस्कार कार्यक्रम
- जिले के लिए MSME डेटाबेस बनाए रखना, औद्योगिक वृद्धि की निगरानी करना, इकाइयों, निवेश तथा रोजगार पर आवधिक रिपोर्ट राज्य निदेशालय एवं केंद्रीय सांख्यिकीय एजेंसियों को भेजना, तथा व्यवहार्य जिला परियोजनाओं के लिए तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन तैयार करना

संबंधित योजनाएँ

- **PMEGP** — विनिर्माण के लिए 50 लाख रुपये / सेवाओं के लिए 20 लाख रुपये तक के ऋण, श्रेणी एवं स्थान के अनुसार 15-35% सब्सिडी सहित
- **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) — Micro Units Development & Refinance Agency** — संपार्श्विक-मुक्त ऋण: शिशु (50,000 रुपये तक), किशोर (5 लाख रुपये तक), तरुण (10 लाख रुपये तक), तरुण प्लस (20 लाख रुपये तक)
- **उद्यम पंजीकरण (Udyam Registration)** — MSME के रूप में निःशुल्क ऑनलाइन उद्यम पंजीकरण, जो सरकारी योजनाओं तथा खरीद वरीयताओं तक पहुँच खोलता है
- **एक जिला एक उत्पाद (ODOP)** — उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) की राष्ट्रीय पहल (साथ ही खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) का खाद्य-प्रसंस्करण घटक odop.mofpi.gov.in पर) जो प्रत्येक जिले के सिग्नेचर उत्पाद क्लस्टर की पहचान करती है
- **RAMP (Raising and Accelerating MSME Performance)** — विश्व बैंक-समर्थित केंद्रीय क्षेत्रक योजना, 2022 में आरंभ; मौजूदा MoMSME योजनाओं (प्रौद्योगिकी उन्नयन, बाज़ार पहुँच, ऋण, हरित-करण) को राज्य-स्तरीय रणनीतिक निवेश योजनाओं के माध्यम से चैनल करती है, जिसमें DIC अनेक राज्यों में जिला-स्तरीय शाखा के रूप में हैं
- **CLCSS (क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना)** — MoMSME की केंद्रीय क्षेत्रक योजना, जो 51 निर्दिष्ट उप-क्षेत्रों में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों द्वारा प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए 15% अग्रिम पूँजी सब्सिडी (1 करोड़ रुपये तक के टर्म लोन पर 15 लाख रुपये तक) प्रदान करती है। प्राथमिक ऋण संस्थान (PLI) बैंकों के माध्यम से DC(MSME) तक मार्ग
- **राज्य उद्यम प्रोत्साहन योजनाएँ** — राज्य अनुसार बदलती हैं; DIC आवेदन एवं सुविधा बिंदु है

पता कैसे लगाएँ

पोर्टल: msme.gov.in — योजना सूचना के लिए; राज्य उद्योग पोर्टल जिला अनुसार DIC पते सूचीबद्ध करते हैं। **जिला औद्योगिक प्रोफाइल:** dcmsme.gov.in/Districts_Industrial_Profiles.aspx — DC-MSME का राज्य एवं जिला औद्योगिक प्रोफाइल का संग्रह (मुद्रा अनुसार बदलती है; अनेक राज्य PDF 2016-17 के हैं)

यह भी: जिला कलेक्ट्रेट पर पूछें अथवा "[जिले का नाम] DIC" या "[जिले का नाम] District Industries Centre" ऑनलाइन खोजें

प्रमुख सुविधाएँ

एक DIC कार्यालय में होना चाहिए: योजना सूचना प्रदर्शित करने वाला रिसेप्शन क्षेत्र, पोर्टल-आधारित पंजीकरण एवं आवेदन प्रसंस्करण के लिए इंटरनेट सहित कंप्यूटर, उद्यमियों के लिए बैठक अथवा परामर्श स्थान, तथा जिले में पंजीकृत उद्यमों एवं सुगम किए गए ऋणों के रिकॉर्ड।

एक क्रियाशील DIC कैसा दिखता है

- योजना सूचना (PMEGP, Udyam, ODOP, राज्य प्रोत्साहन) सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित है
- वर्तमान चक्र में PMEGP आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं तथा संसाधित हो रहे हैं
- वॉक-इन आवेदकों के लिए उद्यम पंजीकरण सहायता उपलब्ध है
- विगत 6 माह में उद्यमिता जागरूकता शिविर अथवा EDPs संचालित किए गए हैं
- स्टाफ़ मुख्य योजनाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया तथा आवश्यक दस्तावेज़ समझा सकता है
- विगत वर्ष में पंजीकृत उद्यमों एवं अनुशंसित ऋणों का रिकॉर्ड उपलब्ध है

शिकायत निवारण

सेवा वितरण के दौरान। पहला संपर्क बिंदु DIC के महाप्रबंधक (GM) होते हैं। PMEGP-विशिष्ट मुद्दों के लिए, PMEGP डेस्क अधिकारी अग्रिम-पंक्ति है; जिला कार्यबल (DM की अध्यक्षता में) एक औपचारिक समीक्षा निकाय है।

सेवा के बाद। शिकायत राज्य उद्योग निदेशालय / राज्य MSME विभाग तक बढ़ाई जाती है। बैंक-समन्वय विवाद (ऋण स्वीकृति / वितरण विलंब) अग्रणी जिला प्रबंधक (LDM) तथा जिला सलाहकार समिति (DCC) तक जाते हैं।

बाहरी। MSME मंत्रालय champions.gov.in पर CHAMPIONS (Creation and Harmonious Application of Modern Processes for Increasing the Output and National Strength) चलाता है — एक समर्पित MSME शिकायत पोर्टल। केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (CPGRAMS, pgportal.gov.in) MSME तथा DPIIT-स्तर की शिकायतों का संचालन करती

है। KVIC PMEGP मामलों के लिए kviconline.gov.in पर अपना शिकायत पोर्टल संचालित करता है। बैंक ऋण नकारियों के लिए, cms.rbi.org.in पर बैंकिंग ओम्बड्समैन का क्षेत्राधिकार है।

—